कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र) ।

पत्रांक : 1465 /रेनुकूट/ 15–31 रेनकूट,दिनांक,नवम्बर, 09 ,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:– जनपद–सोनभद्र में रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु 10 वर्ष की लीज (दिनांक– 21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए) दी गई 61.2348 हे0 वन भूमि **हे0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।**

संदर्भः–
1–इस कार्यालय का पत्र संख्या– 1276/रेनुकूट/15–31 दिनांक– 21.10.2020
2–आपका पत्रांक– 1677/मी0क्षे0/33 दिनांक– 27.10.2020
3–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक– 1056/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/आई0एन0डी/39403/2019 लखनऊ दिनांक– 03.112.2020
4– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 1104/11 सी एफ0पी0/यू0पी0/आई0एन0डी/39403/2019 दिनांक– 07.11.2020

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के सदंर्भित पत्र दिनांक– 07.11.2020 जो आपको सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी व प्रयोक्ता अभिकरण को पृष्ठांकित है, के द्वारा उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार प्रकरण में स्टाम्प डयूटी जमा हुई अथवा नही ? यदि स्टाम्प डयूटी जमा नही हुई है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुये संशोधित सूचना/आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है ।

उक्त निर्देशो के क्रम में अवगत कराना है प्रश्नगत प्रकरण में वस्तु स्थिति /आख्या संस्तुति सहित इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक– 21.10.2020 द्वारा आपकी सेवा में प्रेषित की जा चुकी है । **पुनः यहॉ यह उल्लेख करना है कि सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प सोनभद्र के पत्र संख्या– 235 दिनांक– 13.10.2020 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में स्टाम्प शुल्क किसी बैंक में जमा नही होगा बल्कि विलेख के निष्पादन की तिथि को या उसके पूर्व ई–स्टाम्प या नान ज्यूडिसियल फिजिकल स्टाम्प लेकर विलेख को निष्पादन कराया जाना होगा ।**

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में उच्च स्तर के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित पट्टाविलेख को अनुमोदित किये जाने के उपरान्त ही सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प सोनभद्र के निर्देशानुसार स्टाम्प शुल्क की देयता का निस्तारण उपरोक्तानुसार हो पायेगा ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Scanned with CamScanner